कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, हाई कोर्ट इकाई-3, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**067 / 12, 27.12.2012**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, हाई कोर्ट इकाई-3, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा दिनांक 27.12.2012 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछ गये हैं :-

1. पेन्टिंग (पुताई) का कार्य वर्क कान्ट्रैक्ट के अन्तर्गत आता है या नहीं और इस पर 4% वर्क कान्ट्रैक्ट टैक्स काटने की देयता है या नहीं ।

2. एन्टी टरमाइट ट्रीटमेन्ट का कार्य वर्क कान्ट्रैक्ट के अन्तर्गत आता है या नहीं और इस पर 4% वर्क कान्ट्रैक्ट टैक्स काटने की देयता है या नहीं ।

3. वाटर प्रूफिंग का कार्य वर्क कान्ट्रैक्ट के अन्तर्गत आता है या नहीं और इस पर 4% वर्क कान्ट्रैक्ट टैक्स काटने की देयता है या नहीं ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 19.06.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-2100, दिनांक 29.01.2013 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, हाई कोर्ट इकाई-3, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तीनों बिन्दुओं के कार्य '' वर्क्स कान्ट्रैक्ट '' के अन्तर्गत आते हैं तथा इन समस्त '' वर्क्स कान्ट्रैक्ट '' के विरूद्ध संविदी द्वारा संविदाकार को किये गये भुगतान पर स्रोत पर 4% की दर से TDS की कटौती किये जाने का दायित्व संविदी पर है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि स्रोत पर कटौती (TDS) के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों से आच्छादित नहीं हैं । अत: इनका उत्तर देय नहीं होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा विभिन्न '' कार्य संविदा '' के सम्बन्ध में किये जाने वाले भुगतान पर '' स्रोत

....2

पर कटौती '' (TDS) विषयक प्रश्न पूछे गये हैं । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधान निम्न प्रकार हैं :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में '' स्रोत पर कटौती '' (TDS) से सम्बन्धित प्रश्न पूछा जाना प्राविधानित नहीं है । अत: प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 23 जून, 2014

ह0 / 23.06.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।